संख्या-75/2015/2789/सैंतीस-2-2015-1(12)/2013

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-23 सितम्बर, 2015

विषयः- **पशु रोग अनुसन्धान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-470/सा0-1/एक्स-120(187)/कम्पो./(जि.यो.)2015-16, दिनांक-11.09.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-989.00 लाख (रूपये नौ करोड़ नवासी लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि वर्ष 2015-16 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने पर जारी स्वीकृति को आवंटित परिव्यय में समायोजित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइडलाइन्स) के अनुरूप ही किया जायेगा:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (हजार में)**
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	7353.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	7327.00
39-औषधि तथा रसायन	76788.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	7432.00
योग-	**98900.00**

(रूपये नौ करोड़ नवासी लाख मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अड़गड़ा लगाकर प्रश्नगत योजनान्तर्गत उनके पशुओं को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार धनराशि व्यय करते हुए तत्काल उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी. तथा टी.एस.पी. के लिये निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा तथा धनराशि का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
5. योजनान्तर्गत फर्नीचर, उपकरण, सामग्री, औषधि आदि का क्रय करते समय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(चन्द्र कान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-75/2015/2789(1)/सैंतीस-2-2015- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-75/2015/2789/सैंतीस-2-2015-1(12)/2013, दिनांक-23.09.2015 का संलग्नक-

पशु रोग अनुसंधान तथा निदान और सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (धनराशि हजार में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	39-औषधि तथा रसायन	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	116.00	116.00	1077.00	116.00	**1425.00**
2	मैनपुरी	85.00	119.00	1400.00	125.00	**1729.00**
3	मथुरा	65.00	98.00	539.00	98.00	**800.00**
4	फिरोजाबाद	90.00	99.00	1500.00	135.00	**1824.00**
5	अलीगढ़	60.00	160.00	1500.00	125.00	**1845.00**
6	हाथरस	85.00	68.00	1400.00	150.00	**1703.00**
7	एटा	54.00	143.00	660.00	100.00	**957.00**
8	कासगंज	43.00	55.00	568.00	55.00	**721.00**
9	झांसी	125.00	75.00	1170.00	110.00	**1480.00**
10	ललितपुर	100.00	65.00	1500.00	125.00	**1790.00**
11	जालौन	10.00	10.00	50.00	30.00	**100.00**
12	हमीरपुर	140.00	65.00	1300.00	140.00	**1645.00**
13	महोबा	50.00	51.00	1300.00	51.00	**1452.00**
14	बांदा	100.00	68.00	247.00	100.00	**515.00**
15	चित्रकूट	10.00	10.00	69.00	20.00	**109.00**
16	लखनऊ	140.00	95.00	693.00	95.00	**1023.00**
17	रायबरेली	95.00	123.00	1150.00	95.00	**1463.00**
18	हरदोई	150.00	160.00	370.00	120.00	**800.00**
19	उन्नाव	150.00	150.00	1192.00	120.00	**1612.00**
20	सीतापुर	160.00	130.00	1473.00	130.00	**1893.00**
21	खीरी	160.00	143.00	2000.00	130.00	**2433.00**
22	बरेली	50.00	119.00	1500.00	50.00	**1719.00**
23	बदायूं	50.00	89.00	1292.00	50.00	**1481.00**
24	पीलीभीत	100.00	100.00	1300.00	100.00	**1600.00**
25	शाहजहांपुर	87.00	106.00	2000.00	90.00	**2283.00**
26	मेरठ	30.00	109.00	2000.00	80.00	**2219.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	बागपत	100.00	109.00	1000.00	100.00	**1309.00**
28	गाजियाबाद	32.00	61.00	1400.00	61.00	**1554.00**
29	हापुड़	150.00	58.00	1000.00	58.00	**1266.00**
30	गौतमबुद्धनगर	26.00	68.00	440.00	66.00	**600.00**
31	बुलन्दशहर	100.00	157.00	2066.00	110.00	**2433.00**
32	सहारनपुर	30.00	123.00	1500.00	80.00	**1733.00**
33	मुजफ्फरनगर	150.00	110.00	2000.00	100.00	**2360.00**
34	शामली	80.00	110.00	1200.00	70.00	**1460.00**
35	मुरादाबाद	45.00	75.00	310.00	70.00	**500.00**
36	सम्भल	120.00	75.00	1200.00	120.00	**1515.00**
37	रामपुर	65.00	65.00	1450.00	65.00	**1645.00**
38	बिजनौर	95.00	129.00	1492.00	126.00	**1842.00**
39	अमरोहा	40.00	72.00	1000.00	70.00	**1182.00**
40	वाराणसी	50.00	55.00	540.00	55.00	**700.00**
41	चन्दौली	100.00	61.00	900.00	61.00	**1122.00**
42	गाजीपुर	125.00	50.00	500.00	125.00	**800.00**
43	जौनपुर	150.00	123.00	563.00	123.00	**959.00**
44	संतरविदासनगर	80.00	35.00	150.00	35.00	**300.00**
45	मिर्जापुर	100.00	100.00	1000.00	50.00	**1250.00**
46	सोनभद्र	100.00	78.00	1013.00	78.00	**1269.00**
47	गोरखपुर	100.00	177.00	1300.00	90.00	**1667.00**
48	महाराजगंज	50.00	110.00	760.00	80.00	**1000.00**
49	देवरिया	50.00	89.00	1200.00	90.00	**1429.00**
50	कुशीनगर	100.00	125.00	1200.00	95.00	**1520.00**
51	बस्ती	75.00	111.00	1300.00	100.00	**1586.00**
52	संतकबीरनगर	80.00	35.00	150.00	35.00	**300.00**
53	सिद्धार्थनगर	140.00	85.00	335.00	140.00	**700.00**
54	आजमगढ़	150.00	150.00	1356.00	146.00	**1802.00**
55	मऊ	125.00	106.00	651.00	106.00	**988.00**
56	बलिया	140.00	191.00	1000.00	105.00	**1436.00**
57	इलाहाबाद	100.00	170.00	1500.00	125.00	**1895.00**
58	कौशाम्बी	45.00	51.00	700.00	51.00	**847.00**
59	प्रतापगढ़	125.00	170.00	700.00	95.00	**1090.00**
60	फतेहपुर	120.00	119.00	950.00	110.00	**1299.00**
61	कानपुर नगर	100.00	100.00	1000.00	50.00	**1250.00**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

62	**कानपुर देहात**	150.00	92.00	1000.00	160.00	**1402.00**
63	**फर्रूखाबाद**	75.00	75.00	775.00	75.00	**1000.00**
64	**कन्नौज**	120.00	65.00	637.00	90.00	**912.00**
65	**औरैया**	125.00	61.00	424.00	90.00	**700.00**
66	**इटावा**	125.00	89.00	1025.00	160.00	**1399.00**
67	**फैजाबाद**	140.00	85.00	1035.00	150.00	**1410.00**
68	**अम्बेडकरनगर**	135.00	70.00	800.00	140.00	**1145.00**
69	**सुल्तानपुर**	140.00	109.00	1109.00	150.00	**1508.00**
70	**अमेठी**	140.00	116.00	945.00	150.00	**1351.00**
71	**बाराबंकी**	160.00	140.00	1373.00	184.00	**1857.00**
72	**बलरामपुर**	125.00	65.00	625.00	65.00	**880.00**
73	**श्रावस्ती**	125.00	47.00	800.00	160.00	**1132.00**
74	**गोण्डा**	100.00	119.00	264.00	117.00	**600.00**
75	**बहराईच**	150.00	165.00	1900.00	160.00	**2375.00**
योग-		**7353.00**	**7327.00**	**76788.00**	**7432.00**	**98900.00**

(रूपये नौ करोड़ नवासी लाख मात्र)

(रणविजय सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।